Education Loan Scheme

The objective of the scheme is to provide loan to the students, who are residents of Delhi, for pursuing Professional and Technical courses through Govt. recognized Institutions in India and Abroad.

Target groups:

1. Scheduled Caste
2. Scheduled Tribe
3. Other Backward Classes
4. Minorities
5. Persons with the Disabilities

ELIGIBILITY:

1.) The applicant must be a permanent resident of Delhi and should belongs to SC/ST/OBC/Minority and PwD Category for which a caste certificate issued by the Office of the SDM concerned shall be required, an affidavit in case of Minority Category and disability certificate from Govt. Hospital in case of PWD Category.

2.) Annual income of parents/guardian should be below Rs.5,00,000/- (Rupee Five Lakhs only) for which an income certificate issued by the Office of the SDM concerned shall be required.

3.) The applicant must have got admission in recognized/ Govt. Technical Institution anywhere in India.

4.) The College/ Institute should have been offering the course for the last three years and should be recognized by the Central/State Govt. or by appropriate Authority such as UGC, AICTE etc.

5.) The duration of the course shall not exceed 5 Years.

Maximum Permissible Loan:

Need based finance with the following ceiling:

i) Studies in India - Maximum Rs.7.50 lacs

ii) Studies in Abroad - Maximum Rs. 15.00 lacs

Documents Required:

(A) Pre Sanction/ With Application:

1. Copy of Aadhar Card of borrower(Applicant), co-borrower(Parents/ Guardian) and guarantor.
2. Copy of Income Certificate issued by the office of the SDM Concerned or copy of form no. 16.of Co-borrower.

3. Copy of mark sheet of last examination on the basis of which the applicant has obtained admission in the present/particular course.
4. Four Passport size photographs of the borrower, co-borrower and guarantor and one full size photograph of borrower, in case, the applicant belongs to PWD category.
5. Copy of Birth certificate /Age proof.
6. Copy of Caste Certificate for (SC/ST/OBC) issued by concerned area SDM/ DC and Affidavit in case of Minority category and (% of disability certificate i.e. 40% or more) disability certificate issued by the Medical Board of Government Hospital, Delhi, in case the person belong to disability.
7. Affidavit stating that no loan has been availed from any Govt. Agency for the same purpose.
8. Copies of letter confirming scholarship, free ship, studentship, if any.
9. Proof of admission to the recognized course/ Institute.
10. Copy of schedule of payment for the courses or demand notice from the institution/University.
11. Copies of foreign expenses permit (if applicable).
12. Statement of bank account for the last six months of the borrower and co-borrower.
13. Signature identification of borrower and co-borrower from the bank.
14. Statement of assets and liabilities of borrower/co-borrower.

(B) <u>Post Sanction:</u>

1. Copy of acceptance of sanction-cum agreement letter.
2. Execution of guarantee deed.
3. Execution of Hypothecation deed.
4. Affidavit of Legal Heir.
5. Affidavit of personal guarantee by borrower and co-borrower.
6. ECS/Post Dated Cheques.
7. Processing fee of Rs. 350/-.
8. No Promoter's contribution up to Rs. 4.00 lakh loan. Whereas, 5%, in case of, Education Loan in India and 15% in case of, Abroad, above Rs. 4.00 lakh..
9. Two Witness alongwith copy of ID Proof.
10. Copy of last year result of student.
11. Undertaking for non closing of bank account till the completion of repayment.
12. Documents required in respect of the Guarantor:-

i. Copy of Aadhar Card/Election Card/Passport.

ii Copy of identity card from employer.
iii Original latest pay slip and form 16.
iv Copy of age proof of guarantor(s).
v 04 passport size photographs.
vi Affidavit of guarantor(s).

vii 5 PDC from the guarantor(s) in case the loan is above Rs. 2.00 lac.
viii Copy of guarantor(s) undertaking to stand as guarantor/surety.

OR

Original collateral security in the shape of NSC/KVP/FDR and letter of lien in favour of DSFDC.

OR

Original documents of property for mortgage, in case, the applicant wish to give collateral security of property, with complete chain of documents.

- Application form for education loan is available at three branch offices(Rajpur Road, Nand Nagri, Mangol Puri, and Head Quarter, (Rohini,) as well as official website (http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_dsfdc/DSFDC/Home/) of Corporation.
- Duly filled up application form alongwith pre sanction documents should be submitted with Dy. Manager(Edu. Loan) in room no. 208, IInd Floor, Ambedkar Bhawan, Sec.-16, Rohini, Delhi-89.
- Please bring your originals documents at the time of submission of application form.
- For any information and inquiry, please contact at phone no. 011-27574521 & 27574377.

शैक्षिक ऋण योजना

इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली में निवास करने वाले छात्रों को सरकारी एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों में व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा भारत में ग्रहण करने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है ।

लक्षित समूह ;-

1. अनुसूचित जाति
2. अनुसूचित जनजाति
3. अन्य पिछड़ा वर्ग
4. अल्पसंख्यक समुदाय
5. नि;शक्त जन योजना

पात्रताएं

(1) आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी हो तथा वह अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक एवं नि;शक्त जन समुदाय से सम्बन्ध रखता हो । प्रार्थी के पास संबंधित एसडीएम द्वारा जाति प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक समुदाय हेतु शपथ पत्र तथा नि;शक्त जन हेतु सरकारी अस्पताल द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र हो ।

(2) आवेदक के अभिभावक/सरंक्षक की सभी स्त्रोतों से वार्निक पारिवारिक 5.00 लाख रूपये से अधिक ना हो जिसके लिए एसडीएम कार्यालय द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र होना चाहिए ।

(3) आवेदक द्वारा भारत के किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान में दाखिला लिया हो ।

(4) जिस सस्थान में दाखिला लिया है, वह संस्थान पिछले तीन वर्नो से पाठ्यक्रम चलाने हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा यूजीसी, एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त हो ।

(5) पाठ्यक्रम की अवधि 5 वर्न से अधिक ना हो ।

अधिकतम ऋण सीमा

योजना में निर्धारित ऋण सीमा निम्न प्रकार है ;

i)	भारत में शिक्षा ग्रहण	अधिकतम 7.50 लाख रूपये
ii)	विदेश में शिक्षा ग्रहण	अधिकतम 15.00 लाख रूपये

आवश्यक दस्तावेज

(क) आवेदन पत्र के साथ ऋण स्वीकृति पूर्व औपचारिकताएं

1. लाभार्थी (आवेदक), सह-लाभार्थी (अभिभावक/सरंक्षक) और गारन्टर के आधार कार्ड की प्रति ।
2. संबंधित एसडीएम कार्यालय द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र अथवा सह-लाभार्थी के फार्म 16 की प्रति ।
3. अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका जिसके अनुसार वर्तमान पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है ।
4. लाभार्थी , सह-लाभार्थी और गारन्टर की चार पासपोर्ट साईज फोटो तथा नि;शक्त जन हेतु लाभार्थी की एक फुल साईज फोटो ।
5. जन्म प्रमाण पत्र/ आयु सबूत ।
6. अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु एसडीएम द्वारा जारी जाति प्रमाण अथवा अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत शपथ पत्र । नि;शक्त जन वर्ग हेतु सरकारी अस्पताल द्वारा जारी 40% या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र ।
7. इस आश्य का शपथ पत्र की इस संबंध में आपके द्वारा किसी सरकारी संस्थान से ऋण ना लिया हो ।
8. छात्रवृत्ति/फ्रीशीप के पुन्टि पत्र की प्रति, यदि कोई हो ।
9. मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम/संस्थान में दाखिलें का सबूत ।
10. पाठ्यक्रम की फीस का शैड्यूल अथवा संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मांग पत्र (डिमाण्ड) ।
11. विदेश खर्च परमिट की प्रति (यदि लागू है)
12. लाभार्थी एवं सह लाभार्थी के पिछले 6 महीने के बैंक खाते का विवरण ।
13. बैंक द्वारा लाभार्थी एवं सह लाभार्थी के हस्ताक्षर का सत्यापन ।
14. लाभार्थी एवं सह लाभार्थी की सम्पति और देनदारी का विवरण ।

(ख) ऋण पश्चात की औपचारिकताएं

1. अनुबन्ध् पत्र / ऋण स्वीकृति पत्र के अन्तर्गत शर्तो की स्वीकार्यता पत्र ।
2. गारण्टी डीड का क्रियान्वयन ।
3. हाईपोथीकेशन डीड का क्रियान्वयन ।
4. वारिस शपथ पत्र ।
5. लाभार्थी एवं सह लाभार्थी का व्यक्तिगत गारण्टी का शपथ पत्र ।
6. ईसीएस/पोस्टडेटिड चैक
7. 350/- रूपये प्रक्रिया शुल्क ।
8. यदि स्वीकृत ऋण 4.00 लाख रूपये तक है तो प्रार्थी अंशदान नहीं होगा अपितु

4.00 लाख रूपये से अधिक के ऋण पर भारत में शिक्षा ग्रहण करने हेतु 5% तथा विदेश में शिक्षा ग्रहण करने हेतु 15% प्रार्थी अंशदान जमा कराना होगा ।

9. दो गवाह पहचान पत्र की प्रति के साथ ।
10. छात्र के पिछले परीक्षा परिणाम की प्रति ।
11. इस आश्य की अंडरटेकिगं की जब तक ऋण का पूरा भुगतान नहीं हो जाता तब तक बैंक खाता बन्द नहीं किया जाएगा ।
12. गारण्टर के आवश्यक दस्तावेजों का विवरण

i आधार कार्ड/चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट की छायाप्रति ।
ii कार्यालय पहचान पत्र की प्रति ।
iii नवीनतम मूल वेतन पर्ची और फार्म 16 ।
iv आयु प्रमाण पत्र की प्रति ।
v 04 पासपोर्ट साइज फोटो ।
vi गारण्टरों का शपथ पत्र । किसान
vii यदि ऋण राशि 2.00 लाख रूपये से अधिक है तो गारण्टर के 05 पोस्टडेटिड चैक ।
viii गारण्टरों द्वारा इस आश्य की अंडरटेकिंग कि वह गारण्टी/जमानत हेतु इच्छुक है ।

या

केलोट्रल सिक्योरिटी के रूप में एनएससी/केवीपी/एफडीआर की मूल प्रति और डीएसएफडीसी के पक्ष में लियन पत्र ।

या

यदि अचल सम्पति की गारण्टी है तो प्रापर्टी के मूल दस्तावेज पूरी चेन के साथ और सम्पति के मालिक की एनओसी ।

- शैक्षिक ऋण योजना का आवेदन पत्र निगम की तीनों शाखा कार्यालयों (राजपुर रोड़, नन्द नगरी और मुख्यालय (रोहिणी) के साथ निगम कार्यालय की वेबसाईट (http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_dsfdc/DSFDC/Home/) पर उपलब्ध है।
- ऋण स्वीकृति पूर्व दस्तावेजों के साथ पूर्णत; भरा हुआ आवेदन पत्र निगम के उप प्रबंधक (शैक्षिक ऋण योजना) के कक्ष संख्या 208, द्वतीय तल, अम्बेडकर भवन, सैक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110089 में होगा ।
- कृपया आवेदन पत्र जमा कराते समय अपने मूल दस्तावेज लेकर उपस्थित हों ।
- अन्य जानकारी हेतु कृपया दूरभा-ा संख्या ; 011-27574521 और 27574377 पर सर्म्पक करें ।